संख्या- 376 / 2024 / 3113 / चार-2024-1799300

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषय:- अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी 'पद्मश्री' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को, उनकी स्मृति में संग्रहालय के निर्माण हेतु अधिग्रहीत कर उनके पैतृक आवास को संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-597/उ0प्र0सं0नि0-5(155)/2024-25, दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 349/2024/2887/चार-20204-1799300 दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 द्वारा 'पद्मश्री' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित किये जाने के संबंध में निबन्धन शुल्क पर निहित व्यय रू0 14,33,200.00 (रू0 चौदह लाख तैंतीस हजार दो सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी 'पद्मश्री' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को, उनकी स्मृति में संग्रहालय के निर्माण हेतु अधिग्रहीत कर उनके पैतृक आवास को संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु रू0 14,33,20,000.00 (रू0 चौदह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही धनराशि आहरित कर नियमानुसार संबंधितों को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।
3. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।
6. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ का होगा।
10. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
11. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।
12. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,33,20,000/- (रुपये चौदह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048002000 जनपद बाराबंकी में "पदम श्री" बाबू के.डी. सिंह के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-125-X-2024-25 दिनांक- 14 नवम्बर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in